

2518 (1)

नं.

किस मुकदमा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील  
में जारी हुए

तारीख  
हुक्म

25/1/17

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी  
उपस्थित श्रीमान् P.O. का दौरे पर हैं। पत्रावली  
दिनांक 11/1/17 को वास्तव में पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

11/2/17

पत्रावली पेश हुई। वादी अभिवाक्ता व  
पेशेदार सरकार उपस्थित। कपीद कहेस  
सुनी गई। पत्रावली का कालोका किया गया।  
तदनुसार विज्ञापनों की रिपोर्ट के साथ  
संलग्न पत्रों को अनुसार ग्राम  
समावृत्ति के सा. नं.  $\frac{1453}{166}$  रकबा  
3-00 बीघा खातेदार मेगाराम पि. देवा  
धाकड के नाम पर रिकार्ड है। 858  
आराजी मे रास्ता विमान सा. नं.  
166 रकबा 66-01 बीघा के बीचो बीस  
देकर जाया गया है। पत्रों को मे कही  
पर भी यह तथ्य संशयित नहीं है कि  
कि शर्त के खेत पर जान का यह ही  
एक मात्र रास्ता है।

तथ्य बताए कि चाहे जा रहा रास्ता  
बिमानाग भूमि के बीचो बीच होकर जाता है  
अतः रास्ता के अंत करने से बिमानाग  
भूमि के दो भागों में विभाजित हो जाएगी  
तथा गतिविधि में दो भागों की उपयोगिता  
कम हो जाएगी। अथि वस्तु वादी द्वारा  
यह ही एक मात्र रास्ता होने से उसका  
प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन  
बिना गया।

उपरोक्त तथ्य एवं कथन को ध्यान में  
रखते हैं। यद्यपि कि रास्ता बिमानाग  
भूमि के बीचो बीच से जा रहा है  
तथा अस्तित्व रास्ते से बिमानाग भूमि  
के दो भाग हो जाएंगे। द्वितीय की  
यह ही एक मात्र रास्ता रही है प्रार्थना के  
खेतों पर जाने का। मौके पर अनुसंधान  
के अन्तर्गत रास्ते की मौजूदगी से  
इन्कार नहीं किया जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थना  
के प्रार्थना पत्र को खारिज किया  
जाता है। पत्रावली के अन्तर्गत  
होकर नम्बर से कम है।

22